फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री सुनील कुमार विजयवर्गीय निलम्बित पटवारी मु0पो0 रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द —**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुम्भलगढ — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 72/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 02.02.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार कुम्भलगढ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार कुम्भलगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/1109—1120 दिनांक 28.12.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 26.09.2020 व इस अनुभाग को 01.10.2020 को प्राप्त हुआ हैं। आरटीआई आवेदन चाही गई सूचना इस कार्यालय की नहीं होकर तहसील कार्यालय कुम्भलगढ की होने से मूल ही प्रार्थना पत्र जरिये पत्र क्रमांक : प.1( )सू.अ., 05/2020/810—11 दिनांक 05.10.2020 से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(।)(।।) के तहत तहसीलदार कुम्भलगढ को अंतरण कर प्रेषित करते हुए प्रार्थी को सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुम्भलगढ द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./सू.अ.अधि./2021/10—11 दिनांक 08.01.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रत्यर्थी द्वारा प्रार्थी को चाही गई सूचना बाबत समय पर जरिये पत्रांक भू.अ./सू.अ.अधि./2020/978—79 दिनांक 22.10.2020 से सूचना प्रेषित कर अवगत कराया जा चूका हैं। प्रार्थी ने अपने स्थानीय पते पर सूचना मंगवाना चाहा हैं। प्रार्थी उक्त सूचना लिफाफा मय डाक टिकट एवं सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचना का अधिनियम के प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क प्रति पृष्ठ 2/— की दर से राशि 16/— रूपये की राशि भिजवाकर जरिये डाक प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त सूचना निःशुल्क चाही गई हैं। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रदाय करने पर प्रति पृष्ठ 2/— रूपये के हिसाब से राशि जमा कराने का प्रावधान होने से सूचना की प्रतियों को निःशुल्क जारी नही किया जा सकता हैं। प्रार्थी व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपस्थित रह कर अभिलेख का अवलोकन कर प्रकरण से संबंधित अभिलेख में अंकित वांछित सूचना भी प्राप्त कर सकता हैं।	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

	लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुम्भलगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुम्भलगढ की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संदर्भ में अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित राशि तहसील कार्यालय कुम्भलगढ के राज कोष में जमा कराकर वांछित सूचना प्राप्त करें। अतःउक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती हैं। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर)राजसमन्द	

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)